आवेदक/शिकायतकर्ता का	अर्चना बागला पत्नी महेन्द्र बागला नि0 26/70 बिरहाना रोड कानपुर नगर हाल पता 7/68 रतन
नाम व पता	गार्डनिया तिलकनगर कानपुर नगर मो० 9415044996
विपक्षी का नाम य पता (यदि कोई सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य पदो पर है तो उसका पट व तैनादी का	उमा बागला निवासी बी1 401सेवियर पार्क ओमनगर,मोहन नगर साहिबाबाद गाजियाबाद
पर् है तो उसका पद व तैनाती का आवेदक का विपक्षी का सम्बन्ध	चचेरी भाभी
शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत का विवरण(संक्षिप्त में)	आवेदिका के साथ उमा बागला ,उसकी पुत्री ऋचा शर्मा पत्नी रोहन शर्मा व सहयोगी गवाह सुरेन्द्र पवार द्वारा एक राय होकर षडयन्त्र रच दान विलेख की बात छिपाते हुए रजिस्ट्री किए जाने व रुपया हडपने के सबच में।
जींच करने वाले अधिकारी का नाम व पता व पद	उ०नि० तुषार अवस्थी थाना स्वरूप नगर कानपुर नगर मो० नं०- 8840359752
घटनास्थल के निरीक्षण का विनाक	22.02.2025 अक्षाँश-26.488126 देशान्तर-80.325379
शिकायतकर्ता का थयान	आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके साथ उमा बागला व अन्य उपरोक्त द्वारा एक राय होकर षडयन्त्र रच दान विलेख की बात छिपाते हुए रजिस्ट्री कराने व रुपया हड़पने के सबध में।
आरोपी व्यक्तियों के बयान	निल
निष्पक्ष स्वतन्त्र व्यक्तियों के बयान।	निल
अभिलेखीय साक्य	निल
मेडिकल रिपोर्ट का विवरणयदि हुआ ) जाँच का सारांशनिष्कर्ष /	निल
जाँच से आवेदक द्वारा लगाये गये	निवेदन है कि उपरोक्त आईजीआरएस, की जाँच मुझ उ0िन0 द्वारा की गयी तो वाक्यात इस प्रकार है कि आवेदिका अर्चना उपरोक्त द्वारा दिनाँक 01/02/25 को विपक्षी उमा बागला निवासी बीर 401सेवियर पार्क ओमनगर,मोहन नगर साहिबाबाद गाजियाबाद से म0न0-26/70 बिरहाना रोड़ कानपुर नगर के एक भाग के एक तिहाई भाग का विक्रय-विलेख 30,00,000/- (तीस लाख) रुपये में कराया गया था। विपक्षी द्वारा रजिस्ट्री किये गए भाग पर उसके अन्य रिश्तेदारों द्वारा अपन मालिकाना हक जताया जाने लगा। जब प्रार्थिनी के बेटे व पित द्वारा इसकी जांच करायी गयी तो जात हुआ कि उमा बागला पत्नी स्व0 अनिल बागला की सास लक्ष्मी देवी बागला द्वारा 20/04/2019 के अपने पुत्र अजय बागला को अपने हिस्से का दान-विलेख किया जा चुका था। जिसके चलते उम बागला उपरोक्त मकान में सिर्फ अपने आधे भाग के 1/4 भाग की ही मालिक थी। परन्तु उमा बगल द्वारा प्रार्थिनी व उसके बेटे को धोखा देने की नियत से सही तथ्यों को छुपाते हुए रुपया हड़प लेने की नियत से विश्वास में रखते हुये मकान के आधे भाग का 1/3 हिस्से की रजिस्ट्री कर अपनी पुत्री ऋच शर्मा पत्नी रोहन शर्मा (नि० म० न० 8/9 राजेंद्र नगर सेक्टर 3, ब्लॉक 8, साहिबाबाद, गाजियाबाद
	के साथ गाजियाबाद उसके घर चली गई। महोदय आवेदिका उपरोक्त द्वारा यह भी बताया गया वि उपरोक्त मामले के सबंध में उनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाना फीलखाना में दिया जा चुक है,तथा आवेदिका का सबंधित थाना कोहना है। जिसके सबंध में आवेदिका उपरोक्त द्वारा एव लिखित तहरीर भी दी गयी जो संलग्न रिपोर्ट है। अत: श्रीमान जी उक्त आईजीआरएस का थान स्वरूपनगर से कोई सबंध नहीं है। उक्त आईजीआरएस की जॉच थाना कोहना से कराया जान समाचीन होगा। रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।
जाच स आवदक द्वारा लगाव गव आरोप सिद्ध हो रहे है या नहीं पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी	निल
कार्यवाही का विवरण	3.0000
अन्य कोई तथ्य	निल

श्रामान

सादर अंग्रसारित

(प्रभारी निरीक्षक) धाना-स्वरूप नगर कमिएनरेट, जानपुर STOPHIZE 02 25ET

(उठिन० विश्व विकास विका

रोना जे.

श्री भान थाना प्रशारी महोद्य थाना स्वरूप नगर ,कानपुर नगर

मही द्य

निवेदन हैं की में अर्चना वाजाना ८/० महेन्द्र बाजाना ८/०
३८/२० विरहाना रेड़कानपुर नगर हाल पता ४/८८ तिलक
राजार रतन भारतिया कानपुर नगर हाल पता ४/८८ तिलक
प्रति रतन भारतिया कानपुर नगर की निवासी हू मेरे द्वारा
देज कराई थी। दिग्ने गर्छ पार्छना पत्र का शक्वन्ध थाना
पर और द्वारा रूक शिकायित प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है।
तथा प्रार्थिनी का शक्विधा थाना कीहना है।थाना
रेवरूप नगर से किसी कानूनी कारवाई की आवश्यकता
नहीं है।

Archona Bagla.
Archona Bagla
7/68. Rotan Gardenia
9415044996.
22.2.25

